राजस्व वाद 87 / 2024
जीसीएमएस नंबर–2024 / 360
जगदीश सिंह बनाम अजीतसिंह वगैरह

अंतिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल जिला–नागौर,
व इजलास अभिलाषा , आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या : 87 / 2024

वादीगण–

1. जगदीशसिंह पुत्र जालम सिंह
2. गणपत सिंह पुत्र अमरसिंह
3. हड़मानसिंह उर्फ हनुमानसिंह पुत्र मोहनसिंह
   जातियान–राजपूत, निवासी भावला तहसील–जायल, जिला–नागौर।

बनाम

प्रतिवादीगण –

1. अजीतसिंह
2. पूर्णसिंह
3. प्रमेश्वरसिंह
4. शिवसिंह
5. सुमेरसिंह
6. घापू कंवर
7. पारस कंवर
8. सम्पत कंवर पुत्रगण / पुत्रियां नारायणसिंह
9. कमलकंवर पत्नी उम्मेदसिंह
10. श्याम सिंह पुत्र उम्मेदसिंह
11. घनश्यामसिंह पुत्र उम्मेदसिंह
12. प्रकाश कंवर पुत्री उम्मेदसिंह
13. विनोद कंवर पुत्री मोहनसिंह
14. खींवसिंह पुत्र अमरसिंह
15. गुलाब सिंह पुत्र छोटूसिंह
16. गोपालसिंह पुत्र छोटूसिंह
17. रामसिंह पुत्र छोटूसिंह
18. रणवीरसिंह पुत्र जबरसिंह
19. भवानीसिंह पुत्र जबरसिंह
20. श्यामसिंह उर्फ फूलसिंह पुत्र जबरसिंह
21. सुमनकंवर पुत्री जबरसिंह
22. सुमित्रा कंवर पुत्री जबरसिंह
23. अनुकंवर पुत्री जबरसिंह
24. सुप्यारकंवर पत्नी जबरसिंह
25. रेंवतसिंह पुत्र जालमसिंह
26. भवानीसिंह पुत्र श्रवणसिंह
27. नन्दुसिंह पुत्र श्रवणसिंह
28. दिलीपसिंह पुत्र श्रवणसिंह

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

6

Scanned with CamScanner

29. किरण कंवर पत्नी श्रवणसिंह
30. सुरेश कंवर पुत्री श्रवणसिंह
31. मीकूकंवर पुत्री श्रवणसिंह
32. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार डेह।

उपस्थिति :–

1. श्री नरेन्दसिंह राठौड़ अधिवक्ता वादीगण की ओर से।
2. प्रतिवादी संख्या 1 से 31 की ओर से अधिवक्ता श्री महावीर प्रसाद
3. प्रतिवादी संख्या 32 राजपैरोकार उपस्थित

दावा अन्तर्गत धारा 88 , 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

— : : डिक्री आदेश : : —

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व नरेन्द्रसिंह राठौड अधिवक्ता वादीगण मिनजानिब मुददई प्रतिवादी संख्या 1 से 31 की ओर से अधिवक्ता श्री महावीर प्रसाद प्रतिवादी संख्या 32 राजपैरोकार उपस्थित मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि– यत् वादीगण का वाद घोषणा हक खातेदारी एवं बंटवारा अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर मौजा भावला के खाता संख्या 433 के खेत खसरा नंबर 13 रकबा 4.9048 हैक्टेयर व खेत खसरा नंबर 163 रकबा 3.1161 हैक्टेयर, खसरा नंबर 949 / 169 रकबा 8.3002 हैक्टैयर, खसरा नंबर 957 / 162 रकबा 0.0647 हैक्टेयर में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 31 के मध्य मुतदाविया भूमि का बंटवाड़ा / विभाजन वादपत्र माफिक एवं साक्ष्य सबूत अनुसार हम वादीगण का वाद स्वीकार कर निम्न प्रकार से अंतिम डिक्री किया किया जाता है।

1. वादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 25 से 31 की संयुक्त खातेदारी में मौजा भावला का खेत खसरा नंबर 949 / 169 रकबा 8.3002 हैक्टेयर में से रकबा 0.8489 हैक्टेयर बीच का भाग जो संलग्न नजरीनक्शा में मार्क सी से दर्शित है तथा खसरा नंबर 957 / 162 रकबा 0.0647 हैक्टैयर गैर मुमकिन बाड़ा में से 0.0323 हैक्टैयर पूर्वी भाग , खसरा नंबर 13 रकबा 4.9048 हैक्टेयर में से 2.4524 हैक्टैयर दक्षिणी भाग , खसरा नंबर 163 रकबा 3.1161 हैक्टैयर में से 0.7628 हैक्टेयर उतरी पश्चिमी कौना जिसे इस खसरे के नक्शे में मार्क क. से दर्शित किया गया हैं। इस प्रकार चारों खसरान् में से कुल रकबा 4.0964 हैक्टैयर बंट कब्जा काश्त खातेदारी में रखे हुए है। इसमें वादी जगदीशसिंह का 1 / 3 भाग, प्रतिवादी संख्या 25 रेंवतसिंह 1 / 3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 26 से 31 प्रत्येक का 1 / 18 –1 / 18 हिस्सा हक बंट कब्जा काश्त में रखा जाकर खातेदार घोषित किये जाते हैं।
2. वादी संख्या 2 गणपतसिंह व प्रतिवादी संख्या 14 खींवसिंह की संयुक्त खातेदारी में मौजा भावला का खेत खसरा नंबर 949 / 169 रकबा 8.3002 हैक्टेयर में से रकबा 3.3012 हैक्टेयर उत्तर से दूसरा भू भाग यानि संलग्न नक्शा में मार्क बी से दर्शित किया गया है तथा खसरा नंबर 957 / 162 रकबा 0.0647 हैक्टैयर गैर मुमकिन बाड़ा में से 0.0324 हैक्टैयर पश्चिमी भाग , तथा खसरा नंबर 163 रकबा 3.1161 हैक्टैयर में से 0.7628

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner

हैक्टेयर दक्षिणी पश्चिमी कौना जिसे इस खसरे के नक्शे में मार्क ग, से दर्शित किया गया है। इस प्रकार कुल रकबा 4.0964 हैक्टेयर बंट कब्जा काश्त खातेदारी में रखे हुए है। इसमें वादी गणपतसिंह का 1/2 भाग, प्रतिवादी संख्या 14 खींवसिंह का 1/2 हिस्सा कब्जा काश्त में रखा गया है।

3. वादी संख्या 3 हडमानसिंह उर्फ हनुमानसिंह व प्रतिवादी संख्या 1 से 13 की सयुंक्त खातेदारी में मौजा भावला का खेत खसरा नम्बर 949/169 रकबा 8.3002 हैक्टेयर में से रकबा 0.8489 हैक्टेयर दक्षिणी भाग जो संलग्न नजरीनक्शा में मार्क डी से दर्शित है तथा खसरा नम्बर 13 रकबा 4.9048 हैक्टेयर में से 2.4524 हैक्टेयर उतरी भाग, खसरा नम्बर 163 रकबा 3.1161 हैक्टेयर में से 0.0324 हैक्टेयर दक्षिणी पश्चिमी कौना जिसे इस खसरे के नक्शे में मार्क ड से दर्शित किया गया है। व इसी खसरे में से 0.7628 हैक्टेयर उतरी पूर्वी कौना जिसे संलग्न नक्शा में मार्क ख, से दर्शित किया गया है। इस प्रकार कुल रकबा 4.0965 हैक्टेयर बंट कब्जा काश्त खातेदारी में रखे हुए है। इसमें वादी संख्या 3 का 1/6 भाग, प्रतिवादी संख्या 1 से 8 प्रत्येक का 1/16–1/16 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 9 से 12 का प्रत्येक का 1/24–1/24 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 13 का 1/6 हिस्सा हक बंट कब्जा काश्त में रखा गया है।
4. प्रतिवादीगण संख्या 15 से 24 के बंट कब्जा संयुक्त खातेदारी में मौजा भावला का खेत खसरा नम्बर 949/169 रकबा 8.3002 हैक्टेयर में से रकबा 3.3012 हैक्टेयर उतरी भाग जो संलग्न नजरीनक्शा में मार्क ए से दर्शित है तथा खसरा नम्बर 163 रकबा 3.1161 हैक्टेयर में से 0.7953 हैक्टेयर दक्षिणी पूर्वी भाग जिसे इस खसरे के नक्शे में मार्क घ, से दर्शित किया गया है। इस प्रकार कुल रकबा 4.0965 हैक्टेयर बंट कब्जा काश्त खातेदारी में रखे हुए है। इसमें प्रतिवादी संख्या 15 से 17 प्रत्येंक का 1/4–1/4 भाग, प्रतिवादी संख्या 18 से 24 प्रत्येक का 1/28–1/28 हिस्सा कब्जा काश्त में रखा गया है।
5. नजरीनक्शा निर्णय का अभिन्न भाग माना जावेगा।
6. बैंक के रहन खसरान् के संबंध में संबंधित बैंक को सूचित हो।

निर्णय आज दिनांक 19.12.2024 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(अभिलाष)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
–(नागौर)

Scanned with CamScanner